



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 402 राँची, सोमवार, 22 आषाढ़, 1948 (श०)
13 जुलाई, 2026 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना
19 जून, 2026

पत्र संख्या-05/वि०को0-05/27/2025-3861--गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं NCLI Monitoring Dashboard Entry Fields Portal में दिये गये कण्डिकावार बिन्दुओं में उल्लेखित नये प्रावधानों के आलोक में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के निम्नांकित धाराओं से संबंधित कुल 01 (एक) मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) English एवं हिन्दी भाषाओं में अधिसूचित किया जाता है :-

SL. No.	NCLI Table No. /S.No.	Section BNSS- 2023	Details of Provisions
1	D/2	2(1) (i)	Electronic communication

अनु०:- 01 (एक) मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश तिवारी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

धारा 2(1)(i) बीएनएसएस का मानक संचालन प्रक्रिया

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS 2023) की धारा 173 के अनुसार, जब भी किसी संज्ञेय अपराध की कोई सूचना प्राप्त होती है, तो उसे मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से थाना प्रभारी अधिकारी को दी जा सकती है। बीएनएसएस, 2023 की धारा 2 (1) (i) के अनुसार "इलेक्ट्रॉनिक संचार" की परिभाषा निम्नलिखित है: -

इलेक्ट्रॉनिक संचार [धारा 2(1)(i) बीएनएसएस, 2023]

"इलेक्ट्रॉनिक संचार" से अभिप्राय किसी भी लिखित, मौखिक, चित्रात्मक जानकारी या वीडियो सामग्री के संचार से है, जो किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से प्रेषित या स्थानांतरित की जाती है (चाहे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, या एक उपकरण से दूसरे उपकरण को, या व्यक्ति से उपकरण को, या उपकरण से व्यक्ति को), जिसमें टेलीफोन, मोबाइल फोन, या अन्य वायरलेस दूरसंचार उपकरण, या कंप्यूटर, या ऑडियो-वीडियो प्लेयर या कैमरा, या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप शामिल है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट किया जा सकता है।

नोट:- यह मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद फील्ड इकाइयों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर संशोधन के अधीन है।

SOP of Section 2(1)(i) BNSS

As per section 173 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS 2023) whenever any information of any cognizable offence is received, it can be communicated orally or by electronic communication to the officer in charge of the Police Station. As per section 2 (1) (i) of BNSS, 2023 electronic communication is defined as follows: -

Electronic Communication [Section 2 (1) (i) of BNSS, 2023]

"electronic communication" means the communication of any written, verbal, pictorial information or video content transmitted or transferred (whether from one person to another or from one device to another or from a person to a device or from a device to a person) by means of an electronic device including a telephone, mobile phone, or other wireless telecommunication device, or a computer, or audio-video player or camera or any other electronic device or electronic form as may be specified by notification, by the Central Government,

Note: This Standard Operating Procedure (SOP) is subject to modification based on feedback from field units, post implementation of the new criminal laws.
